मै. श्री गोविन्द बिल्डस्ट्रक्चर्स प्रा. लि. बनाम मै. पिकसिटी

3/2025

9/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद की ओर से आदेश 07 R11 CPC जवाब पेश। प्रतिवादी की ओर से आदेश 07 R11 CPC पर बहस। उभयपक्ष को आदेश 07 R11 CPC पर बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु 10 दिन पश्चात को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (राज.)

22/5/25 पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 सहित अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/5/25 को पेश हो।

28/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में आदेश 07 R11 CPC में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादीगण का आदेश 07 R11 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का दावा खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अभार्थी ने अपनी बहस में पत्रावली में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/प्रतिवादीगण का आदेश 07 R11 CPC को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड व आदेश 07 R11 CPC का अवलोकन करने पर वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर एवं इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वादी ने वाद के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजीयात आवासीय से परिवर्तन करवाकर JDA के नाम राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर आराजी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष JDA से ही प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का आदेश 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है व वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्तीबद्ध की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

Read
26/5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या /2024

मैसर्स श्री गोविन्द बिल्डस्ट्रक्चर्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर श्री विजय कुमार शर्मा
रजि0 ऑफिस 612 वैभव कॉम्पलेक्स, वैशाली नगर जिला जयपुर — वादी

बनाम

मैसर्स पिंकसिटी इन्फ्राकान प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस डी–825/826 सृष्टी अपार्टमेन्ट सुन्दर नगर फोर्टिज अस्पताल के पिछे मालवीय नगर जयपुर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर — प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वर,

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि

ह कि वादी फर्म की निजि खातेदारी की भूमि खसरा न0 124 रकबा 0.02
खसरा न0 126 रकबा 0.04 है0, खसरा न
खसरा न0 125 रकबा 1.15 है0, खसरा न0 136 रकबा 3.00 है0 मे से हिस्सा 0.42 है0, ख
रकबा 0.89 है0, खसरा न0 185/810 रकबा
3 रकबा 0.40 है0 मे से रकबा 0.05 है0, खसरा न0
ला किता 7 कुल रकबा 2.71 है0 वाके ग्राम मानपुर टीलावाला तहसी
ला जयपुर मे स्थित है जिसको वादी ने आवासीय हेतु कय कि
जयपुर मे परिवर्तन करवाकर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के
गर्ड मे परिवर्तन करवा दिया।

कि उक्त भूमि वादी की निजी खातेदारी की भूमि है जिसके
डोल व बाउण्डरी बनी हुयी है। जिसको वादी ने आव
प कर रखा है तथा अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ

Shree Govind Buildst